अनुबन्ध - 9

विदेशी सहायता

इस अनुबंध में मित्र देशों तथा अन्तर्राष्ट्रीय संगठनों से ऋणों, अनुदानों और वस्तुओं के रूप में मिली सहायता की मात्रा तथा उसके स्वरूप का विवरण संक्षिप्त रूप में दिया गया है। वर्ष 2014-2015 तथा 2015-2016 में, जो विदेशी सहायता मिली है, उसके मूलधन की वापसी-अदायगी तथा ब्याज की अदायगी के अनुमानों को नीचे दी गई सारणी में संक्षेप में दिखाया गया है:-

(करोड़ रुपए)

	वास्तविक 2013-2014	बजट अनुमान 2014-2015	संशोधित अनुमान 2014-2015	बजट अनुमान 2015-2016
क. ऋण	25,416.23	28,175.04	30,407.47	34,373.35
ख. नकद अनुदान	3,399.23	2,404.51	2,086.49	1,773.77
ग. वस्तु अनुदान सहायता	218.84	...	724.60	...
घ. जोड़ (क+ख+ग)	**29,034.30**	**30,579.55**	**33,218.56**	**36,147.12**
ङ ऋणों की वापसी-अदायगी	18,124.30	22,441.26	20,702.00	23,200.00
च. विदेशी सहायता (वापसी अदायगी को घटाकर) (घ-ङ)	**10,910.00**	**8,138.29**	**12,516.56**	**12,947.12**
छ. ऋणों पर ब्याज अदायगी	3,879.77	4,070.24	3,838.09	3,998.12
ज. विदेशी सहायता (वापसी-अदायगी तथा ब्याज अदायगी को घटाकर) (च-छ)	**7,030.23**	**4,068.05**	**8,678.47**	**8,949.00**

द्विपक्षीय विकास सहयोग नीति के अनुसार, जी-8 के सभी देशों नामतः संयुक्त राज्य अमेरिका, यूनाइटेड किंगडम, जापान, जर्मनी, फ्रांस, इटली, कनाडा और रुसी संघ के साथ यूरोपीय संघ से द्विपक्षीय विकास सहायता प्राप्त की जा रही है।

उन द्विपक्षीय विकास साझेदारों, जिनसे सरकारी स्तर पर विकास सहायता प्राप्त न करने का निर्णय लिया गया है, को सलाह दी गई है कि वे अपनी विकास सहायता भारत में गैर-सरकारी संगठनों और विश्वविद्यालयों आदि को प्रदान करने पर विचार करें। यह भी सुझाव दिया गया है कि वे अपनी विकास सहायता बहुपक्षीय विकास अभिकरणों के माध्यम से देने पर विचार करें।

विभिन्न देशों और संगठनों से जो सहायता मिली है उसका संक्षिप्त ब्यौरा नीचे दिया गया है:-

(क) द्विपक्षीय

I. फ्रांस

1. फ्रांस सरकार भारत को 1968 से विकास सहायता प्रदान कर रही है। फ्रांसीसी विकास सहायता फ्रेंच एजेन्सी फॉर डेवलपमेंट के माध्यम से प्रदान की जा रही है, और भारत में एजेंसी फॉर डवलपमेंट द्वारा वित्तपोषण हेतु प्राथमिकता वाले क्षेत्र वैश्विक सार्वजनिक सामान के स्थायी प्रबंधन और जैव-विविधता का परिरक्षण हैं। वित्त वर्ष 2014-15 में एएफडी ने ₹ 214 करोड़ संवितरित किए है।

II. जर्मनी

संघीय गणराज्य जर्मनी 1958 से भारत को वित्तीय और तकनीकी सहायता प्रदान कर रहा है। वित्तीय कार्यक्रमों का केएफडब्ल्यू, जर्मनी सरकार के विकास बैंक के माध्यम से और तकनीकी सहायता कार्यक्रमों का जीआईजेड के जरिये कार्यान्वयन किया जाता है। द्विपक्षीय विकास सहयोग कार्यक्रम के वर्तमान प्राथमिकता वाले क्षेत्र है ऊर्जा, पर्यावरणीय नीति, प्राकृतिक संसाधनों का संरक्षण और परिरक्षणीय प्रयोग, स्थायी आर्थिक विकास। भारत सरकार और जर्मनी ने 2014-15 के दौरान 230 मिलियन यूरो की राशि के बारह करारों पर हस्ताक्षर किए हैं। 2014-15 के दौरान ऋण के लिए ₹ 378 करोड़ और अनुदानों के लिए ₹ 12 करोड़ प्राप्त हुए है।

III. जापान

जापान 1958 से भारत को द्विपक्षीय ऋण और अनुदान सहायता प्रदान करता आ रहा है। भारत को जापानी द्विपक्षीय ऋण सहायता, सहायता अनुदान और तकनीकी सहायता जापान अंतरराष्ट्रीय सहयोग अभिकरण (जेआईसीए) द्वारा प्राप्त होती है। जापान भारत का सबसे बड़ा द्विपक्षीय दाता है।

2. वित्त वर्ष 2014-15 के दौरान, जेआईसीए ने उत्तराखंड वन संसाधन प्रबंध परियोजना की अनुशंसा की है। वर्ष 2014-15 के दौरान सरकारी ऋणों हेतु प्राप्ति ₹ 4774 करोड़ थी।

3. गुवाहाटी सीवरेज परियोजना और पीपीपी अवसंरचना वित्तपोषण परियोजना के लिए जापान सरकार से जेआईसीए ऋण की औपचारिक वचनबद्धता हुई है और टिप्पणों के आदान-प्रदान पर हस्ताक्षर किए गए हैं। इन दो परियोजनाओं के लिए ऋण करार पर फरवरी/मार्च, 2015 में हस्ताक्षर किए जाएंगें।

IV. रूसी परिसंघ

वर्तमान वचनबद्धता के अन्तर्गत, कुडनकुलम नाभिकीय विद्युत परियोजना कार्यान्वित की जा रही है। यूनिट 1 और 2 का निर्माण नवम्बर, 1988 में हस्ताक्षर किए गए अंतर-सरकारी करार (आईजीए) के तहत किया गया है, जिसे जून, 1998 में संपूरक करार के जरिए संशोधित किया गया था जिसमें 4 % प्रति वर्ष की ब्याज दर पर, 2600 मिलियन अमरीकी डालर के सरकारी ऋण की व्यवस्था बढ़ाकर रूसी परिसंघ से आपूर्ति और सेवा पर आने वाली लागत 85% भाग तक कर दी गई है। कुडनकुलम में (यूनिट 3 और 4) अतिरिक्त नाभिकीय विद्युत संयंत्रों के निर्माण के लिए जुलाई, 2012 में तारीख 5 दिसम्बर, 2008 के प्रोटोकाल करार पर हस्ताक्षर किए गए थे, जिसमें रूसी परिसंघ ने 4 % प्रति वर्ष की ब्याज दर पर, 4200 मिलियन अमरीकी डालर का सरकारी ऋण प्रदान किया।

V. यूनाइटेड किंगडम (यूके)

यूनाइटेड किंगडम (यूके) 1958 से भारत को द्विपक्षीय विकास सहायता प्रदान करता आ रहा है। यह सहायता स्वास्थ्य, शिक्षा, स्लम विकास आदि के क्षेत्रों में मुख्यतः मिलेनियम विकास लक्ष्य प्राप्त करने के लिए प्राप्त की जाती है। यू.के. से सहायता वित्तीय अनुदानों और तकनीकी सहयोग के रूप में पारस्परिक रूप से सहमत सरकारी के साथ-साथ गैर सरकारी परियोजनाओं में प्रवाहित होती है। वर्तमान में ओड़ीसा, मध्य प्रदेश और बिहार वे राज्य हैं जहां अंतर्राष्ट्रीय विकास विभाग अपनी सहायता दे रहा है। वर्ष 2014-15 के दौरान डीएफआईडी से कुल संवितरण ₹ 557 करोड़ बैठता है।

VI. संयुक्त राज्य अमरीका (यूएसए)

भारत को संयुक्त राज्य अमरीका की द्विपक्षीय सहायता 1951 में शुरू हुई। यह सहायता मुख्यतया अमरीकी अंतर्राष्ट्रीय विकास एजेंसी (यूएसएड) के मार्फत संचालित होती है। यूएसएड भारत सरकार के साथ स्वास्थ्य प्रणालियों के सुदृढ़ीकरण; खाद्य सुरक्षा देने वाली प्रतिकृति योग्य मॉडलों का विकास करने; न्यून उत्सर्जन और उर्जा सुरक्षित अर्थव्यवस्था का अंतरण तेज करने; वनों द्वारा कार्बन अवशोषण के जरिए ग्रीनहाउस गैस कम करने और उत्सर्जन न्यून करने; जलवायु परिवर्तन अनुकूलन हेतु व्यक्तियों और समुदायों की सहायता और प्रशिक्षण तथा विकास के जरिए मूल शिक्षा की गुणवत्ता में सुधार करने का भागीदार है।

ख. बहुपक्षीय

I. एशियाई विकास बैंक (ए.डी.बी.)

भारत लंबी परिपक्ताओं वाले रियायती अनुबंधों पर निधियां जुटाने के फोकस के साथ सरकार द्वारा अपनाई गई समग्र विदेशी ऋण प्रबंधन नीति के जरिये भारत एशियाई विकास बैंक से उधार लेता है। एडीबी से भारत को संचयी ऋण सहायता 1986 के बाद से 31.28 बिलियन अमरीकी डालर है, जो 189 परियोजनाओं के लिए है। वर्तमान में, 7528 मिलियन अमरीकी डालर के 83 चालू ऋण हैं। 2014-15 के दौरान, एडीबी से ₹ 5,537 करोड़ और ₹ 0.62 करोड़ नकद अनुदान के रूप में प्राप्त हुए। एडीबी भारतीय रिजर्व बैंक की रुपए प्रतिभूतियां रखता है, जिनका समय-समय पर भारत में इसके रुपए व्यय को पूरा करने के लिए इसके द्वारा नकदीकरण किया जा सकता है।

II. यूरोपीय संघ(ईयू)

यूरोपीय संघ भारत को अनुदानों के रूप में विकास सहायता प्रदान कर रहा है। यह वर्तमान में पर्यावरण, लोक स्वास्थ्य और शिक्षा जैसे प्राथमिकता प्राप्त सेक्टरों में अनुदान दे रहा है। यूरोपीय संघ देशीय कार्यनीतिक दस्तावेज के जरिए विकास सहयोग कार्यक्रम कार्यान्वित करता है। सीएसपी भागीदार देश की नीति कार्यसूची पर और देश/क्षेत्र स्थिति के विश्लेषण पर, यूरोपीय संघ उद्देश्यों पर आधारित होता है।

2. भारत सरकार के मुख्य कार्यक्रम जिन्हें अन्य विकास भागीदारों के साथ यूरोपीय संघ से सहायता प्राप्त हुई है/हो रही है इनमें सर्व शिक्षा अभियान (एसएसए) और राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन/बाल प्रजनन स्वास्थ्य (आरसीएच) शामिल हैं। 2012 में, भारत सरकार ने यूरोपीय संघ के साथ "प्रारंभिक और माध्यमिक शिक्षा के लिए क्षेत्र नीति सहायता कार्यक्रम" परियोजना हेतु करार पर हस्ताक्षर किए हैं। वर्तमान में यूरोपीय संघ की सहायता से केवल चार परियोजनाएं क्रियान्वनाधीन है।

III. वैश्विक निधि संगठन

वैश्विक निधि एड्स, तपेदिक और मलेरिया से मुकाबल करने के लिए है। वैश्विक निधि/जीएफएटीएम एक अन्तरराष्ट्रीय संगठन है जिसका उद्देश्य एचआईवी तथा एड्स, तपेदिक और मलेरिया से बचाव व उपचार हेतु अतिरिक्त संसाधन प्रदान करने के लिए समर्पित है। यह संगठन सरकारी/निजी भागीदारी है जिसका सचिवालय जिनेवा, स्विटजरलैंड में अवस्थित है। वर्तमान में, वैश्विक निधि की सहायता से क्रियान्वित की गई सात सतत् परियोजनाएं हैं। 2014-15 के दौरान, ₹ 331 करोड़ का अनुदान जीएलएफ से प्राप्त किया गया है।

IV. अन्तर्राष्ट्रीय पुनर्निर्माण तथा विकास बैंक (आईबीआरडी)

आईबीआरडी का लक्ष्य ऋणों, गारंटियों, गैर-ऋण सेवाओं के माध्यम से सतत् विकास को बढ़ावा देकर मध्यम आय वाले देशों और ऋण प्राप्त करने के योग्य निर्धन देशों में गरीबी को कम करना है। भारत 1949 से आईबीआरडी से सहायता प्राप्त कर रहा है। आईबीआरडी से सहायता मुख्यतः अवसंरचना परियोजनाओं (विद्युत क्षेत्र तथा सड़कें) हेतु प्रयोग की जाती है। वर्तमान में 32 सरकारी ऋण संवितरण प्रक्रिया में हैं। वर्ष 2014-15 के दौरान 150 मिलियन अमरीकी डालर की धनराशि के आईबीआरडी के दो परियोजना ऋणों पर वार्ता हुई है। 2014-15 के दौरान, आईबीआरडी से ₹ 2,907 करोड़ का ऋण और ₹ 69 करोड़ का अनुदान मिला है।

V. अन्तर्राष्ट्रीय विकास संघ (आईडीए)

आईडीए विश्व बैंक का रियायती सहयोगी है और बैंक के गरीबी उन्मूलन अभियान को सहायता प्रदान करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। इस समय, 69 परियोजनाओं का निष्पादन किया जा रहा है। वर्ष 2014-15 में आईडीए से ₹ 6,239 करोड़ का ऋण और ₹ 6 करोड़ का अनुदान प्राप्त हुआ है। वर्ष 2014-15 के दौरान, भारत सरकार और आईडीए के बीच दस नये करारों पर हस्ताक्षर किये गए।

VI. अंतरराष्ट्रीय कृषि विकास निधि (आईएफएडी)

अंतरराष्ट्रीय कृषि विकास निधि की स्थापना संयुक्त राष्ट्र की 13वीं विशिष्ट एजेन्सी के रूप में 1977 में की गई थी। आईएफएडी ने कृषि, ग्रामीण विकास, जनजातीय विकास, महिला सशक्तीकरण, प्राकृतिक संसाधन प्रबंधन और ग्रामीण वित्त व्यवस्था के क्षेत्रों में 27 परियोजनाओं को सहायता दी है। वर्तमान में, 10 परियोजनाएं कार्यान्वयनाधीन हैं। वित्त वर्ष 2014-15 के दौरान, आईएफएडी द्वारा ₹ 168 करोड़ के ऋण का संवितरण किया गया है। 2014 के दौरान, एक नयी आईएफएडी सहायता प्राप्त योजना-मेघालय आजीविका और बाजार अभिगमन परियोजना (मेघा-एलएएमपी) के लिए करार पर हस्ताक्षर किए गए हैं।

VII. संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम (यू.एन.डी.पी.)

संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम (यूएनडीपी) का समग्र मिशन स्थायी मानव विकास में क्षमता विकास के जरिए कार्यक्रम वाले देशों की सहायता करना है। नये देश कार्यक्रम (सीपी) में चार यूएनडीएएफ निष्कर्षों अर्थात् समावेशी विकास, अभिशासन, स्थायी विकास और महिला-पुरूष समानता पर ध्यान केंद्रित किया जाएगा। यह आर्थिक रूप से पिछड़े राज्यों पर केंद्रित है। 2013-2017 हेतु भारतीय देश कार्यक्रम के लिए कुल संसाधन आबंटन 243.4 मिलियन अमरीकी डालर बैठता है।